संशोधन कृपया पृष्ठ 02 पर हेडिंग में नियमावली, 1918 के स्थान पर नियमावली, 2018 पढ़ने का कष्ट करें।

पत्र सूचना शाखा
(मुख्यमंत्री सूचना परिसर)
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0

मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय

लखनऊ : 07 अगस्त, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में आज यहां लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए :–

उ0प्र0 वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर में स्थित निष्प्रयोज्य स्पिनिंग भवन/लैब के ध्वस्तीकरण का प्रस्ताव अनुमोदित

- जनपद कानपुर वस्त्र निर्माण के क्षेत्र का प्रमुख केन्द्र होने के कारण, उद्योगों को तकनीकी विशेषज्ञ उपलब्ध कराने की दृष्टि से वर्ष 1914 में स्कूल आफ डाइंग प्रिंटिंग की स्थापना की गयी, जिसे वर्ष 1937 में उच्चीकृत करके डिप्लोमा स्तर का संस्थान बनाकर इसका नाम राजकीय केन्द्रीय वस्त्र संस्थान रखा गया।
- कालान्तर में संस्थान को डिग्री स्तरीय बनाया गया तथा वर्ष 2006 में स्वायत्तशासी स्वरूप प्रदान करते हुये उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के नाम से पुर्ननामित किया गया। वर्तमान में संस्थान 240 की प्रवेश क्षमता के साथ वस्त्र प्रौद्योगिकी की चार विधाओं में डिग्री प्रदान कर रहा है। संस्थान में अभियांत्रिकी में परास्नातक एवं विद्या वाचस्पति के छात्र भी शिक्षा ग्रहण करते हैं।
- संस्थान में स्पिनिंग भवन/लैब का निर्माण वर्ष 1960-62 में किया गया था। वर्तमान में उक्त भवन अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण हो चुका है। अन्यत्र कोई प्रयोगशाला न होने के कारण छात्र/छात्राओं के प्रयोगात्मक कार्य उसी प्रयोगशाला में कराने की विवशता है।
- डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा पं0 दीन दयाल उपाध्याय गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत संस्थान को उक्त निष्प्रयोज्य भवन के स्थान पर प्रयोगशाला सह अध्ययन कक्षों के नवीन निर्माण हेतु रू 6.71 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है।
- उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग द्वारा संस्थान के स्पिनिंग भवन/लैब को निष्प्रयोज्य घोषित कर भवन का खाता मूल्य रू 6.57 लाख निर्धारित करते हुए भवन के ध्वस्तीकरण की संस्तुति की गयी है।

उ0प्र0 राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को वायुयान द्वारा यात्रा की सुविधा) (पंचम संशोधन) नियमावली, 2018 के प्रख्यापन का निर्णय

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को वायुयान द्वारा यात्रा की सुविधा) नियमावली, 1988 द्वारा विधान मण्डल के मा० सदस्यगण को वायुयान यात्रा की सुविधा अनुमन्य करायी गयी है। उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 1980 की धारा 5 के परन्तुक के अधीन किसी सदस्य द्वारा वायुयान यात्रा का विकल्प देने पर नियमावली के नियम 3 में रेल कूपनों के सापेक्ष सममूल्य के इण्डियन एअर लाइन्स द्वारा जारी प्रकीर्ण प्रभार आदेश (एम०सी०ओ०) जारी किये जाने की व्यवस्था है। उक्त नियम 3 के परन्तुक में किसी सदस्य द्वारा प्रकीर्ण प्रभार आदेश का बिना उपयोग किए इण्डियन एअर लाइन्स से भिन्न किसी एअर लाइन्स द्वारा यात्रा किए जाने की स्थिति में ऐसे सदस्य को नियम 10-क के अधीन वायुयान टिकट प्रस्तुत करने पर टिकट के मूल्य के बराबर धनराशि की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था है।

मा0 प्रतिनिहित विधायन समिति की पिछली बैठकों में मा० सदस्यगण द्वारा एम०सी०ओ० का प्रयोग किए बिना इण्डियन एअर लाइन्स द्वारा की गयी यात्रा की प्रतिपूर्ति न हो पाने का मुद्दा उठाया जाता रहा है। मा0 समिति द्वारा की गयी अपेक्षानुसार इस बिन्दु तथा कतिपय अन्य बिन्दुओं पर विचार विमर्श हेतु तत्कालीन प्रमुख सचिव न्याय, विधायी, संसदीय कार्य तथा विधि परामर्शी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। उक्त समिति की दिनांक 17 अगस्त, 2016 को सम्पन्न बैठक में यह संस्तुति की गयी है कि विधान मण्डल के मा0 सदस्यगण को इण्डियन एअर लाइन्स से की गयी यात्रा की प्रतिपूर्ति भी अन्य निजी एअर लाइन्स की भांति किए जाने हेतु संबंधित नियमावली में यथा आवश्यक संशोधन कराये जाने पर विचार कर लिया जाय।

उक्त् के क्रम में विधान मण्डल के मा0 सदस्यगण को किसी भी एअर लाइन्स से की गयी वायुयान यात्रा की नियमानुसार प्रतिपूर्ति किए जाने की व्यवस्था हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को वायुयान द्वारा यात्रा की सुविधा) नियमावली, 1988 के नियम-3, नियम-10 क तथा नियमावली में दिए गए प्रपत्र-2 में यथावश्यक संशोधन किए जाने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को वायुयान द्वारा यात्रा की सुविधा) (पंचम संशोधन) नियमावली, 2018 मा0 मंत्रि-परिषद के समक्ष आदेशार्थ प्रस्तुत है। प्रस्तावित संशोधन उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 1980 की धारा-5(1) में विधान मण्डल के सदस्यों को अनुमन्य रू0 4,25,000/- से अनधिक के वार्षिक रेल कूपनों की वर्तमान सीमा के अन्तर्गत ही है, अत: उपर्युक्त प्रस्ताव/संशोधन में कोई अतिरिक्त वित्तीय व्यय-भार निहित नहीं है।

उपर्युक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को वायुयान द्वारा यात्रा की सुविधा) (पंचम संशोधन) नियमावली, 2018 के आलेख्य पर मा0 मंत्रि-परिषद् के आदेश प्रार्थित हैं।

उ0प्र0 सार्वजनिक भू–गृहादि (कतिपय अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) नियमावली, 2018 को मंजूरी

मंत्रिपरिषद द्वारा उ0प्र0 सार्वजनिक भू–गृहादि (कतिपय अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) नियमावली, 2018 को स्वीकृति प्रदान की गई है।

यमुना एक्सप्रेस–वे एवं ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस–वे की क्रासिंग (ग्राम जगनपुर–अफजलपुर के पास) पर इण्टरचेंज के निर्माण का निर्णय

यमुना एक्सप्रेस–वे एवं प्रस्तावित ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस–वे की क्रासिंग (ग्राम जगनपुर–अफजलपुर के पास) पर इण्टरचेंज का निर्माण यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा ई–टेण्डर के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर किये जाने हेतु मा0 मंत्रि परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया है।

प्रश्नगत भूमि का स्वामित्व यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पास रहेगा। सड़क निर्माण एन0एच0ए0आई0 के Drawing Design एवं Specification के आधार पर किया जायेगा। सड़क निर्माण में व्यय होने वाली समस्त धनराशि की प्रतिपूर्ति एन0एच0ए0आई0 द्वारा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को की जायेगी। सड़क निर्माण होने के बाद सड़क का रखरखाव (Operation & Maintenance) एवं टोल प्लाजा का संचालन/नियंत्रण एन0एच0ए0आई0 द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय
अधिनियम–2002 में संशोधन का प्रस्ताव अनुमोदित

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र में वृद्धि, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल पाठ्यक्रम को संचालित किये जाने, शैक्षणिक संवर्ग की संरचना एस0जी0पी0जी0आई0 के समान एवं अन्य कारणों के फलस्वरूप अधिनियम में संशोधन किये जाने का निर्णय कार्य परिषद की बैठक दिनांक 26/27 सितम्बर, 2017 में लिया गया। के0जी0एम0यू0 एक्ट–2002 की धारा–14 में विश्वविद्यालय के अधिकारियों के अन्तर्गत 'प्रति–'कुलपति' का प्राविधान था। विधायी अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या–386/सात–वि–1–1(क)–2–2004 दिनांक 27.02.2004 द्वारा प्रति–कुलपति की व्यवस्था को समाप्त करते हुए सुसंगत धाराओं को अधिनियम से हटा दिया गया था। किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ में नये संकायों/विभागों की स्थापना, मेडिकल/नर्सिंग कालेजों की सम्बद्धता, नये चिकित्सालयों की स्थापना एवं संचालन, कार्मिकों की संख्या में वृद्धि आदि कारणों से कुलपति के कार्य एवं दायित्वों में आशातीत वृद्धि हो चुकी है। ऐसी स्थिति में प्रति–कुलपति के पद का पुनर्स्थापित किया जाना आवश्यक है।

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम–2002 की धारा–8, 10, 11, 14, 16, 22, 24, 29, 30, 31, 35 तथा 36 में संशोधन एवं प्रति–कुलपति की नियुक्ति एवं दायित्वों से सम्बन्धित नई धारा–18 अधिनियम में जोड़ा जाना प्रस्तावित है। के0जी0एम0यू0 एक्ट–2002 की धारा–24 के अन्त में उल्लिखित स्पष्टीकरण में कम्पनी अधिनियम–1956 एवं इसके संगत अंशों का प्राविधान है। यह अधिनियम निरसित हो चुका है और इसके स्थान पर कम्पनी अधिनियम–2013 लागू है। अतः धारा–24 में तदनुसार संशोधन किया जाना आवश्यक है।

प्रदेश में संचालित निजी स्कूलों द्वारा छात्रों से वसूल किये जा रहे मनमानी शुल्क पर औचित्यपूर्ण नियंत्रण के लिए उ0प्र0 स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क निर्धारण) अध्यादेश, 2018 का प्रतिस्थानी उ0प्र0 स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय(शुल्क विनियमन) विधेयक–2018 को राज्य विधान मण्डल के आगामी सत्र में पुरःस्थापित करने का निर्णय

- प्रदेश के छात्र/छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ कराते हुए निजी स्कूलों द्वारा छात्रों से वसूल किये जा रहे मनमाने शुल्क को विनियमित किये जाने हेतु छात्रहित में अधिसूचना दिनांक 09– 04–2018 द्वारा उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क का निर्धारण) अध्यादेश–2018 लागू किया गया है। यह शैक्षिक सत्र 2018–19 से लागू है।
- उक्त अध्यादेश के प्रतिस्थानी विधेयक "उ0प्र0 स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) विधेयक, 2018" के रूप में राज्य विधान मण्डल के आगामी सत्र में पुरःस्थापित/पारित कराकर अधिनियमित किया जाना प्रस्तावित है।
- प्रतिस्थानी विधेयक, 2018 में जन सामान्य की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मण्डल स्तर पर बनायी गयी समिति के स्थान पर शुल्क को विनियमित किये जाने के लिए प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला शुल्क नियामक समिति का गठन किया जा रहा है।
- जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित की जाने वाली समिति को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन दीवानी न्यायालय और अपीलीय न्यायालय की शक्तियॉ प्राप्त होगी तथा समिति के सदस्यों का कार्यकाल 02 वर्ष का होगा।
- प्रस्तावित निर्णय से छात्र/छात्राओं एवं उनके अभिभावकों को सीधा लाभ प्राप्त होगा तथा शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार होगा तथा छात्र/अभिभावकों पर निजी विद्यालयों द्वारा डाले जा रहे वित्तीय अधिभार से मुक्ति मिलेगी ।
- प्रस्तावित निर्णय के अन्तर्गत कोई शुल्क नहीं लगायी गयी है, शासन को कोई राजस्व प्राप्त नहीं होगा तथा समस्त कार्यवाही जनहित में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए की जा रही है।

लोक कल्याण मित्र इन्टर्नशिप प्रोग्राम का प्रस्ताव अनुमोदित

प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं व कार्यक्रमों के व्यापक प्रचार–प्रसार व फीडबैक मैकेनिज्म को पुख़्ता बनाये जाने के उद्देश्य से लोक कल्याण मित्र इन्टर्नशिप प्रोग्राम प्रस्तावित है, जिसका उद्देश्य उत्साही एवं अनुभवी युवाओं को इस कार्यक्रम में शामिल करना है, जो वास्तव में सामाजिक परिवर्तन लाने के इच्छुक हों। उक्त प्रोग्राम के अन्तर्गत सभी ब्लाक स्तर पर एक लोक कल्याण मित्र तथा प्रदेश स्तर पर प्रदेश स्तरीय दो कल्याण मित्र तैनात किये जायेंगे। कार्यक्रम की अवधि एक वर्ष होगी तथा कार्यक्रम की लाभप्रदता एवं उपादेयता के दृष्टिगत मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से इन्टर्नशिप कार्यक्रम की अवधि को एक वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकता है।

प्रत्येक जनपद में ब्लाक स्तरीय लोक कल्याण मित्रों के चयन हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय, मुख्य विकास अधिकारी एवं सूचना विभाग के प्रतिनिधि तथा अन्य जनपद स्तरीय वरिष्ठ अधिकारियों की समिति द्वारा वर्णित योग्यता/विशेष अर्हता को ध्यान में रखते हुए चयन की कार्यवाही एक वर्ष के लिए की जाएगी। इसी प्रकार प्रदेश स्तर पर दो प्रदेश स्तरीय कल्याण मित्रों के चयन की कार्यवाही मण्डलायुक्त, लखनऊ की अध्यक्षता में गठित मण्डल स्तरीय वरिष्ठ अधिकारियों की समिति द्वारा उपरोक्तानुसार एक वर्ष के लिए की जायेगी। लोक कल्याण मित्रों के चयन में आरक्षण का लाभ विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार दिया जायेगा।

प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं व कार्यक्रमों के व्यापक प्रचार–प्रसार व फीडबैक मैकेनिज्म को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लोक कल्याण मित्र इन्टर्नशिप प्रोग्राम लागू किये जाने हेतु सभी विकास खण्डों में एक लोक कल्याण मित्र तथा प्रदेश स्तर पर दो प्रदेश स्तरीय कल्याण मित्रों को तैनात किया जाना प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष एक मुश्त बजट व्यवस्था से उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा–94 के अन्तर्गत निर्गत स्वीकृतियों का विवरण मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत

वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–8/2017/बी–1–1190/दस–2017–231/2017, दिनांक 03.08.2017 के प्रस्तर–2(18)(क) में यह व्यवस्था है कि एक मुश्त बजट व्यवस्था के समक्ष व्यय की नई योजनाओं के लिए वित्तीय स्वीकृतियां उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा–94 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार योजना की कुल लागत पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जारी की जाएगी। प्रशासकीय विभाग द्वारा अगले वर्ष मा0 मंत्रि–परिषद के समक्ष पैरा–94 के अन्तर्गत जारी सभी स्वीकृतियों का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में राज्य विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए रू0 900.00 लाख की धनराशि की एक मुश्त व्यवस्था थी। इसके अतिरिक्त नए राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना एवं राजकीय महाविद्यालयों के भवनों के निर्माण, विस्तार एवं विद्युतीकरण हेतु रू0 1000/– की टोकन व्यवस्था होने के कारण रू0 400.00 लाख की व्यवस्था की गई है। एक मुश्त व्यवस्था के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि से राज्य विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार से सम्बन्धित 12 कार्यों के लिए रू0 635.523 लाख, 03 राजकीय महाविद्यालयों के निर्माण हेतु रू0 300.00 लाख एवं एक राजकीय महाविद्यालय में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय भवन के निर्माण के लिए रू0 100.00 लाख की धनराशि निर्गत की गई है।

———————————

PN-CM-Cabinet Decision-07 August, 2018